न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/आरटीआई/37/2021

सुरेश चन्द शर्मा, सेवा निवृत प्र0अ0 म0न0 6 बृजनगर, भरतपुर।

बनाम

कोषाधिकारी, भरतपुर ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 25.05.2021**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट सुरेश चन्द शर्मा, 6 बृजनगर, भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 03.02.2021 कोषाधिकारी, भरतपुर से सूचना चाही गई थी। कोषाधिकारी, भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट/344 दिनांक 27.04.2021 के द्वारा कोषाधिकारी, भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में कोषाधिकारी, भरतपुर से उनके पत्र कमांक/1543 दिनांक 24.05.2021 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं कोषाधिकारी, भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने कोषाधिकारी, भरतपुर से सूचनांऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। कोषाधिकारी, भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र कमांक 1543 दिनांक 24.05.2021 का अवलोकन किया गया। पत्र के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलार्थी को समस्त सूचनांऐं उपलब्ध करा दी गई हैं। कोषाधिकारी, भरतपुर ने अपने जबाब की ताईद में पत्र कमांक 776 दिनांक 23.02.2021 की प्रति भी भिजवाई गई है। रेस्पो. ने अपीलांट को वांछित सूचनाऐं उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (कोषाधिकारी, भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति कोषाधिकारी, भरतपुर को भी भेजी जावे।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर